FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
गिरधारीलाल पुत्र मांगूराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी चितावा		बनवारीलाल पुत्र मांगूराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण वगैरह निवासी कुकनवाली

राजस्व वाद – इस्तकरार हक, भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88 व 53 188 R.T.Act 1955

वाद–पत्र नम्बर 45/2020 **RCMS No.** 2020/00084

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
5/8/2020	यह राजस्व वाद वकील वादी द्वारा इस्तकरार हक, भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88 व 53 188 R.T.Act 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादी प्रस्तुत किया गया। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनॉक 08.09.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
07/9/2020	वकील वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। वकील वादी एवं वादी उपस्थ प्रार्थना पत्र के बाबत कहा है कि पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईश के मालीजामा हो चुका है अतः वाद आगे नहीं चलाना चाहते है अतः वाद वादी विड्रोल खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार किया जाता है वाद वादी विड्रोल खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो	हयातराम अभि. कार्यवाहक अभिभाषक गुमानाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.10.24 12:39:34 IST
Reason: SelfAttested